सेवा में ,

थाना प्रभारी महोदय
थाना कमला नगर भोपाल

भोपाल म.प्र.

विषय– मैनिट एनआईटी कालेज भोपाल होस्टल नं 5 में आदित्य सुहाने की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने के संबंध में ।

महोदय,

निवेदन है कि मेरा पुत्र आदित्य सुहाने मैनिट एनआईटी कालेज भोपाल में बी.टैक. तृतीय वर्ष का छात्र था । जो मैनिट के ही होस्टल नं. 5 के रूम नं. बी 025 में रहता था । दिनांक 22.09.2023 को मेरे पास दतिया में दोपहर लगभग 2 बजे मैनिट कालेज भोपाल से फोन आया कि आपके बेटे आदित्य सुहाने ने आत्महत्या कर ली है आप भोपाल आ जाईये । मैं शीघ्र ही किराये के वाहन से अपने संबंधीजनों के साथ दतिया से भोपाल के लिये रवाना हुआ । भोपाल मैनिट में उसी दिन लगभग 9 बजे रात को पहुंचने पर मुझे बताया गया कि आपके बेटे ने आत्महत्या कर ली है एवं उसका रूम फिलहाल पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है !

होस्टल के स्टाफ एवं आदित्य के सहपाठियों से चर्चा करने पर तथा आदित्य के रूम के पीछे की ओर की खिडकी से रूम में झांक कर देखा तो मुझे आदित्य की आत्महत्या की जो बात बताई जा रही है वह संदिग्ध प्रतीत हुई।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि

1. मेरे व मेरे परिवार वालों के संज्ञान में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे वह आत्महत्या कर ले । पढाई में वह काफी अच्छा था, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी परिवार का माहौल भी खुशनुमा था ,स्वास्थ्य संबंधी भी कोई परेशानी नहीं थी। यदि आदित्य ने आत्महत्या की भी है तो उसका कारण मैनिट स्टाफ, साथी छात्र, कालेज से संबंधित अन्य लोग या कालेज में अनाधिकृत रूम से आने जाने वालों में से ही कोई होना चाहिए जिसके कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हुई की आदित्य आत्म हत्या करने को मजबूर हुआ ।
2. आदित्य ने कई बार बताया कि मैनिट में बच्चों तक ड्रग्स, नशीले पदार्थों की सप्लाई बडे आराम से होती है एवं कई छात्र नशे की गिरफत में हैं । उसके द्वारा बताया गया था कि अभी कुछ समय पूर्व होस्टल में कुछ छात्रों को नशा करते हुए मैनिट स्टाफ ने पकड़ा भी था एवं उन छात्रों पर 25–25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था । अतः इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि होस्टल में नशे का

23/09/2024

Scanned with CamScanner

कारोबार करने वाले व्यक्तियों अथवा नशे के आदी अन्य छात्रों का आदित्य पर दबाव हो जिसके चलते उसे यह आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा ।

3. प्रत्यक्षदर्शी मैनिट के सहपाठियों द्वारा बताया गया कि आदित्य के कमरे के दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद नहीं थी एवं गेट आराम से खुल गया मेरे विचार में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कमरे की कुंडी अवश्य ही लगायेगा । इसके अतिरिक्त खिडकी से झांकने पर देखने पर सीलिंग फैन, कूलर, पलंग, कुर्सी आदि की स्थिति ऐसी नहीं लगी कि यहां आत्महत्या की गई हो संभावना यह भी है कि किसी के द्वारा आदित्य को किसी पुरानी रंजिश, या किसी तात्कालिक बजह के चलते पहले मार डाला गया हो एवं बाद में इसे आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया हो ।

उपरोक्त बिंदुओं के दृष्टिगत मेरे आपसे निवेदन है कि इस केस को मात्र आत्महत्या न मानकर हत्या अथवा आत्महत्या के लिऐ मजबूर करने के एंगल से जांच करवाने का कष्ट करें तथा प्रार्थी को न्याय दिलाने एवं दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें ।

प्रार्थी

दिनांक 23.09.25
स्थान भोपाल

भुवनानन्द गुप्त , उम्र 47 वर्ष
पुत्र स्वर्गीय श्री राधावल्लभ गुप्त
निवासी चूनगर फाटक दतिया म.प्र.
मोबा. नं. 9893353057

Scanned with CamScanner